

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 5580 / शैक्षिक पक्ष

दिनांक : 18.10.2017


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2012-13/2013-14/2014-15 के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय में परिवर्तन व इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक 09.10.2017 की अनुपालना में निम्न वर्णित छात्र-अध्यापकों का इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय से उनके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में परिवर्तन किया जाता है :

SR.NO.	ROLL NO.	INTERN NAME	CHANGED SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
1	5310120442	SONU RATHEE	GGPS KALANAUR/KALANAUR/ROHTAK
2	5311010284	SAPNA	GPS TOHANA B/B/TOHANA/FATEHABAD
3	5312160375	JYOTI	GPS SHAHBAJPUR/NANGAL CHOUDHARY/MOHINDERGARH

उक्त वर्णित छात्र-अध्यापकों को दिनांक 25.09.2017 से 31.03.2018 तक इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः संबंधित खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए वर्णित छात्र-अध्यापकों को परिवर्तित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाएं। इस बात का ध्यान रखा जाना है कि इन छात्र-अध्यापकों को इण्टर्नशिप के केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी अवस्था में 90 कार्यदिवस से अधिक इण्टर्नशिप किए जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि छात्र-अध्यापक के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आंकलन करते हुए ग्रेड संबंधित डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए यह अन्तिम अवसर है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी व इस अवधि में यदि कोई छात्र-अध्यापक इण्टर्नशिप पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका डी.एड. डिप्लोमा स्वतः ही रद्द माना जाएगा व इसके पश्चात् कोई दावा/प्रतिवदेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  
18/10/2017  
सहायक सचिव (शैक्षिक)  
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर  
संबंधित खण्ड मौलिक शिक्षाधिकारी

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 5581 / शैक्षिक पक्ष

दिनांक : 18.10.2017


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय में परिवर्तन व इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक 09.10.2017 की अनुपालना में निम्न वर्णित छात्र-अध्यापकों का इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय से उनके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में परिवर्तन किया जाता है :

Sr. No.	ROLL NO.	INTERN NAME	NEW ALLOTTED SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
1	5313140572	RAHUL	GPS PATTIKALIYANA/SAMALKHA/PANIPAT
2	5313151240	VIKRANT	GPS BAWWA/NAHAR/REWARI
3	5313150187	HITESH YADAV	GPS MUNDIA KHERA/KANINA/MOHINDERGARH
4	5313080026	MANJESH	GPS MUND/ASSANDH/KARNAL
5	5313180116	MUNINDER	GPS GANGESAR/MUNDLANA/SONIPAT

उक्त वर्णित छात्र-अध्यापकों को दिनांक 25.09.2017 से 31.03.2018 तक इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः संबंधित प्राचार्य, डाईट/बाईट/गैटी प्रतिहस्ताक्षर करते हुए वर्णित छात्र-अध्यापकों को परिवर्तित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाएं। इस बात का ध्यान रखा जाना है कि इन छात्र-अध्यापकों को इण्टर्नशिप के केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी अवस्था में 90 कार्यदिवस से अधिक इण्टर्नशिप किए जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि छात्र-अध्यापक के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आकलन करते हुए ग्रेड संबंधित डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए यह अन्तिम अवसर है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी व इस अवधि में यदि कोई छात्र-अध्यापक इण्टर्नशिप पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका डी.एड. डिप्लोमा स्वतः ही रद्द माना जाएगा व इसके पश्चात् कोई दावा/प्रतिवदेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  
18/10/2017  
सहायक सचिव (शैक्षिक)  
कृते : सचिव

प्रतिहस्ताक्षर  
प्राचार्य, संबंधित डाईट/बाईट/गैटी